



शिव गंगा अर्बन टी.एण्ड सी. कोपरेटिव सोसायटी लिमिटेड

ई-3/121, विनय ईन्कलेव, लक्ष्मी विहार प्रेम नगर-3, किराडी सुलेमान नगर दिल्ली-86

खाता संख्या

सन 20

दिनांक:

सदस्यता फार्म

1. सदस्य का नाम :
2. पिता/पत्नी/पति का नाम :
3. सदस्य की जन्म तिथि : आयु
4. सदस्य का मोबाइल नं. :
5. सदस्य का वर्तमान : पिन कोड
6. सदस्य का स्थाई पता : पिन कोड
7. सदस्यता शुल्क :
8. सदस्य के वारिस का नाम :
9. सदस्य का संबंध : आयु
10. वारिस की जन्म तिथि : आयु
11. वारिस का स्थाई पता : पिन कोड
12. वारिस का मोबाइल नं. :

नोट: किसी भी फैसले के लिए सोसायटी स्वतंत्र है। सोसायटी का फैसला सर्वमान्य है। सोसायटी के फैसले के खिलाफ सरकारी या गैर अपील नहीं कर सकते।

हस्ताक्षर सदस्य

हस्ताक्षर जारीकर्ता



शिव गंगा अर्बन टी.एण्ड सी. कोपरेटिव सोसायटी लिमिटेड

ई-3/121, विनय ईन्कलेव, लक्ष्मी विहार प्रेम नगर-3, किराडी सुलेमान नगर दिल्ली-86

आवश्यक सूचना

1. साधारण सदस्य को प्रवेश शुल्क 200 देना होगा।
 2. मासिक किस्त 200 रुपये प्रतिमाह देना होगा।
 3. मासिक किस्त 10 से 15 तारीख तक जमा करवानी होगी।
 4. बिल्डिंग फंड 100 रु. प्रति वर्ष।
 5. लोन लेने वाले सदस्य को एक महीना पहले 1 से 5 तारीख तक फार्म मिलेगा।
 6. लोन लेने के लिए सोसायटी के दो सदस्यों की जमानत अनिवार्य है।
 7. लोन 10,000 रु से लेकर 25,000 रु तक मिलेगा।
 8. लोन का ब्याज दर 1.5% होगा।
 9. मासिक जमा राशि पर ब्याज दर 1% प्रतिशत होगा।
 10. सदस्य बनने के एक साल बाद सदस्य को लोन मिलेगा।
 11. सदस्य को लोन लेने के समय यदि कोई गवाह नहीं मिलता है तो उसकी रकम का 75 प्रतिशत पैसे उसे लोन के रूप में दिया जायेगा।
 12. लोन का भुगतान हर महीने की 19-22 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक होगा।
 13. एक ही परिवार की जमानती की मान्यता नहीं होगी।
 14. जो सदस्यता ग्रहण करने के बाद लगातार 6 महीने तक किस्त जमा नहीं करेगा। उसकी सदस्यता समाप्त करने का अधिकार सोसायटी का होगा और मैम्बर को उसका जमा पैसा ही वापिस मिलेगा।
 15. दो महिलाओं की जमानत नहीं चलेगी एक पुरुष का होना अनिवार्य है।
 16. पहला लोन समाप्त होने के दो महीना बाद दूसरा लोन लेने का अधिकार होगा।
 17. पास बुक खो जाने पर 100 रु का शुल्क देना होगा।
 18. खाता बन्द करवाते समय जमा राशी का सर्विस चार्ज काटने के बाद भुगतान किया जायेगा।
 19. कन्या विवाह में मेम्बर को एक साल बाद आर्थिक सहायता दी जायेगी।
 20. लोन या अन्य किसी बात के लिए आखिरी फैसला सोसाइटी का होगा।
 21. पच्चीस हजार से उपर लोन पर 10 प्रतिशत सिक्योरिटी मनी जमा कराना अनिवार्य है।
 22. इच्छा अनुसार धरोहर राशि पर वार्षिक व्याज दर चार प्रतिशत दिया जायेगा।
 23. 25 लोन पर फाइल चार्ज 1½ % देना अनिवार्य है।
 24. जो लोन धारक तय रकम नहीं देगा उसे एक प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा।
- नोट— सदस्यों को शिकायत सुझाव या अन्य जानकारी के लिए हर रविवार शाम 5 बजे से 7 बजे तक सोसाइटी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।